रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

R 3217-PBR/16

(126)

1— **दीपेश पिता श्री गयादीन वर्मा**
आयु – वयस्क, व्यवसाय – व्यापार
निवासी – ग्राम लिम्बोदी, तहसील व जिला इन्दौर

2— **शारदाबाई पति स्व. हीरालाल**
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम लिम्बोदी, तहसील व जिला इन्दौर — **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

1— **हरकमल सिंह पिता सरदार सिंह**
आयु – वयस्क, व्यवसाय – ज्ञात नहीं
निवासी – 415, विष्णुपुरी एनेक्स, इन्दौर

2— **छोटेलाल पिता शिवगोविन्द वर्मा**
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – नवलखा, इन्दौर — प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/–70/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09.09.2016 से व्यथित होकर प्रार्थी अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करता है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार महोदय इन्दौर के समक्ष ग्राम लिम्बोदी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 60 [illegible] 7 रकबा 0.030

— 2 पर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3217-पीबीआर/2016 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	